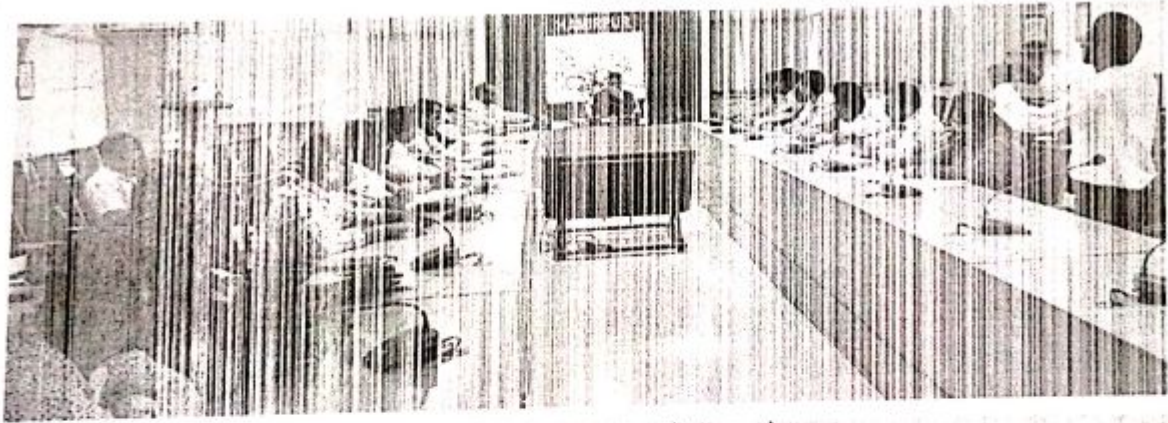


दिनांक 25.10.2024 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं/पुर्नगठन योजनाओं की प्रगति, आ रही समस्याओं के समाधान तथा "हर घर जल" सर्टीफिकेट प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पुर्नगठन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति तथा आ रही समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक का आयोजन जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 25.10.2024 को अपरान्ह 12:00 बजे से ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार कक्ष, कलेक्ट्रेट, हमीरपुर में सम्पन्न हुई, जिसके कार्यवृत्त का अनुमोदन जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक-29.10.2024 को किया गया। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे--

1. श्री सुरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (नमामे गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति), हमीरपुर।
2. श्री डी0एन0प्रसाद, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर।
3. श्री आर0के0राव, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, राठ।
4. श्री संदेश सिंह तोमर, अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
5. श्री सुमित कुमार, अधिशासी अभियंता वि0/यॉ0, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट।
6. श्री मानवेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
7. शिवम कुमार, सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
8. श्री आशीष बाजपाई, सहायक अभियंता, इले0 एण्ड मैके0, एस.डब्लू.एस.एम., हमीरपुर।
9. श्री नरैन सिंह गिल, डी0टी0एल0, सेन्सिस टेक लि0 (टी0पी0आई0), हमीरपुर।
10. श्री आर.के.शुक्ला, सुपरविजन इंजीनियर, पी0एम0सी0, हमीरपुर।
11. श्री शैलेन्द्र गुप्ता, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
12. श्री राकेश पारिख, डी0पी0एम0, PNC-SPML(JV), Hamirpur.
13. श्री प्रभाशु गुप्ता, सीनियर इंजीनियर, PNC-SPML(JV), Hamirpur.
14. श्री सोनू कुमार, मै0 अनिल कुमार शर्मा।
15. श्री अशोक कुमार, प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर, डी0पी0एम0 श्री हरि इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स।
16. श्री धीरेन्द्र सिंह, बी0के0 कन्स्ट्रक्शन।
17. श्री रोहित गुप्ता, मै0 नरेन्द्र कुमार गुप्ता।



पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना

अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल (सतही स्रोत) योजना में 131 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं एवं 17 राजस्व ग्राम में वाटर डिमांड ली गयी है, जिसमें विकास खण्ड सींधवा के 82 एवं विकास खण्ड सुमेरपुर के 66 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। उपरोक्त परियोजना में 01 इन्टेकवेल, 01 डब्लू0टी0पी0, 10 सी0डब्लू0आर0, 46 अवर जलाशय 306.63 किमी0 राइजिंगमेन, 908.826 किमी0 वितरण प्रणाली तथा 47940 FHTC का कार्य किया जाना है।

Handwritten signature

फर्म SPML-JWIL(JV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इन्टेकवेल(45 एम0एल0डी0), डब्लू0टी0पी0(45 एल0डी0), 10 सी0डब्लू0आर0, 10 पम्पहाउस, 46 अवर जलाशय, वितरण प्रणाली तथा टेस्टिंग कमिशनिंग का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 131 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है, 119 ग्रामों में रोड-रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण तथा 12 ग्रामों 4.3 किमी0 कार्य शेष है। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 113 राजस्व ग्राम के हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किये जा चुके हैं तथा 18 ग्रामों में शेष हैं। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा योजना से आच्छादित सभी ग्रामों में शत प्रतिशत जलापूर्ति नहीं की जा रही है। रोड-रेस्टोरेशन हेतु टीमों कम लगायी गयी हैं, जिससे कार्य में आपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है।

जिलाधिकारी महोदय फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाकर यदि कार्य अवशेष हो तो पूर्ण कराये तथा सभी ग्रामों में निरंतर रूप से रोस्टर के अनुसार पेयजल की आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें। योजना से आच्छादित सभी ग्राम पंचायत केन्द्र/पम्प हाउस में पेयजल आपूर्ति का समय/रोस्टर अंकित करा दिया जाय। कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया कि जिन-जिन राजस्व ग्रामों में रोड-रेस्टोरेशन का कार्य अवशेष है, उसे पर्याप्त टीम लगाकर पूरा कराया जाय। रोड-रेस्टोरेशन, एच0टी0सी0 का कार्य पूर्ण कर तथा निरंतर रूप से जलापूर्ति करते हुए हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि दिनांक-31.10.2024 तक नल संयोजन, रोड-रेस्टोरेशन, नियमित जलापूर्ति तथा हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण करा लिया जाय।

हरौलीपुर ग्राम समूह सतही एवं भूजल आधारित पाइप पेयजल योजना

अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह सतही पेयजल योजना के माध्यम से कुरारा के 28 ग्राम सम्मिलित है तथा 11 ग्रामों की वाटर डिमांड ली गयी है तथा हरौलीपुर ग्राम समूह भूजल पेयजल योजना के माध्यम से विकास खण्ड मुस्करा, सरीला, राठ एवं गोहाण्ड के 167 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं।

हरौलीपुर ग्राम समूह सतही पेयजल योजना--:

अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि हरौलीपुर सतही स्रोत योजनान्तर्गत 01 इन्टेकवेल (9MLD), 01 डब्लू0टी0पी0 (8MLD), 12 नग अवर जलाशय तथा 05 नग सी0डब्लू0आर0, राइजिंगमेन 84.084 किमी0, वितरण प्रणाली पाइप 184.372 किमी0 तथा 9636 FHTC के सापेक्ष सभी कार्य पूर्ण कर निरंतर जलापूर्ति की जा रही है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर को निर्देशित किया गया योजना से आच्छादित समस्त राजस्व ग्रामों का एक बार पुनः सत्यापन करा लिया जाय, यदि कोई कार्य शेष रह गया हो अथवा पाइप लाइन लीकेज हो तो यथाशीघ्र ठीक करा लिया जाय।

हरौलीपुर ग्राम समूह भूजल पाइप पेयजल योजना--:

हरौलीपुर नलकूप आधारित योजनान्तर्गत 123 नग नलकूप, 118 नग अवर जलाशय, 1 नग सी0डब्लू0आर0 वितरण प्रणाली के लिए पाइप बिछाने का कार्य 977.42 किमी0, 103 नग स्टाफ क्वाटर तथा 53504 FHTC का कार्य किया जाना है। कार्यदायी फर्म PNC-SPML(JV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि नलकूप आधारित योजना में प्रस्तावित सभी 123 नग नलकूप 123 पम्प हाउस, 01 सी0डब्लू0आर0, 118 अवर जलाशय, 975 किमी राइजिंगमेन, 7.3 किमी0 वितरण प्रणाली, 53504 नग नल संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

Handwritten signature

कार्यदायी फर्म PNC-SPML(IV) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना में 164 राजस्व ग्रामों में रोड़-रेस्टोरेशन किया जा चुका है तथा 3 ग्रामों में कार्य शेष है। योजना से आच्छादित समस्त 167 राजस्व ग्रामों में नियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही है तथा 155 राजस्व ग्रामों का हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किया जा चुका तथा 12 ग्रामों में शेष है। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर ने अवगत कराया कि सभी ग्रामों में निरंतर जलापूर्ति नहीं की जा रही है, बीच-बीच में जलापूर्ति बन्द कर दी जाती है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया कि जिन-जिन राजस्व ग्रामों में रोड़-रेस्टोरेशन/ वीओआईओ का कार्य अवशेष है पर्याप्त मानवश्रम लगाकर यथाशीघ्र पूर्ण करा लिया जाय, योजना से आच्छादित सभी ग्रामों में निर्वाह रूप से रोस्टर के अनुसार पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें। रोड़-रेस्टोरेशन, एच0टी0सी0 का कार्य पूर्ण कर तथा निरंतर रूप से जलापूर्ति करते हुए शत-प्रतिशत हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त करना सुनिश्चित करें। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक 31.10.2024 तक रोड़-रेस्टोरेशन तथा अवशेष सभी हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त कर लिया जायेगा।

पुर्नगठन पेयजल योजना

अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन की पुर्नगठन योजना में 11 पैकेज के कुल 108 ग्राम आच्छादित हैं। पुर्नगठन योजना का अनुवध अगस्त, 2023 में किया गया है।

1-मै0 अनिल कुमार:-

फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि नलकूप, अवर जलाशय, पाइप लाइन विछाने तथा नल संयोजन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य 02 ग्रामों में पूर्ण तथा 01 ग्राम में शेष है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवश्रम लगाकर रोड़-रेस्टोरेशन का कार्य दिनांक 31.10.2024 तक पूर्ण करायें तथा रोस्टर के अनुसार नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाय।

2-मै0 श्री हरि इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा0 लि0:-

अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 01, 03, 04, 06 के अन्तर्गत कुल 45 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 23 पम्प हाउस के सापेक्ष 22 पम्प हाउस का कार्य पूर्ण तथा 01 पर कार्य प्रगति पर, 23 अवर जलाशय का कार्य पूर्ण व 02 पर कार्य प्रगति पर है तथा 0.60 किमी पाइप लाइन व 627 नल संयोजन का कार्य शेष है। रोड़-रेस्टोरेशन का कार्य 18 ग्रामों में पूर्ण तथा 27 ग्रामों में शेष है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया तथा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया पर्याप्त मानवश्रम लगाकर पम्प हाउस, अवर जलाशय, नल संयोजन तथा रोड़-रेस्टोरेशन का कार्य समस्त घटकों पर समान्तर रूप से तथा निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं मानको के अनुसार यथा शीघ्र पूर्ण करायें तथा नियमानुसार हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त करें।

3-मै0 बी0के0 कंस्ट्रक्शन एण्ड कम्पनी:-

अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 08, 09 के अन्तर्गत कुल 26 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा 02 पम्प व 572 नल संयोजन का कार्य शेष है। 11 ग्रामों में रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण तथा 10 ग्रामों में शेष है, फर्म द्वारा आवश्यक 15 टीमों के सापेक्ष मात्र 10 टीमें लगायी गयी है, जिससे कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। 21 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष मात्र 06 हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किये गये हैं।

Handwritten signature

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया, कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवशक्ति लगाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप योजना के समस्त घटकों पर समान्तर रूप से कार्य करावें।

4-मै0 नरेन्द्र कुमार गुप्ता, कॉन्ट्रैक्टर--

अधिशाली अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नगठन योजना में पैकेज संख्या 02 के अन्तर्गत कुल 05 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। अधिशाली अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 11 पम्प हाउस के सापेक्ष 03 पम्प हाउस का कार्य शेष है, 01 अवर जलाशय, 80 मी0 पाइप लाइन बिछाने तथा 201 नग नल संयोजन का कार्य शेष है। 05 ग्रामों के सापेक्ष 03 ग्रामों में रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण तथा 02 ग्रामों में शेष है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया, कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानवशक्ति लगाकर स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप योजना के समस्त घटकों पर योजना बनाकर समान्तर रूप से कार्य करावें।

फर्म मै0 अवस्थी कन्सट्रक्शन एवं जय माँ लक्ष्मी कन्सट्रक्शन बैठक में अनुपस्थित रहे, जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशाली अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर से अनुपस्थित फर्मों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी कार्यदायी फर्मों को निर्देशित किया गया कि अवशेष रोड रेस्टोरेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर ली जाय, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा न हो। उक्त के कारण किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने पर सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पाइप लाइन, नल संयोजन तथा नियमित जलापूर्ति करते हुए तथा रोड-रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराकर, ग्राम सभा की खुली बैठक का आयोजन कर नियमानुसार हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय। जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति 80 प्रतिशत अथवा उससे कम है दिनांक-31.10.2024 तक शत-प्रतिशत कर ली जाय। पेयजल का रोस्टर ग्राम पंचायत/पम्प हाउसों में अंकित करा दिया जाय। कार्यदायी फर्मों को निर्देशित किया गया कि कार्य पूर्ण किये गये ग्रामों की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे ग्रामों का रैण्डम निरीक्षण किया जा सके। अधिशाली अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन पेयजल योजना के तहत शिकायतों व उनके निस्तारण हेतु एक कन्ट्रोल रूप की स्थापना की जाय तथा कन्ट्रोल रूप के दूरभाष नं0 का प्रचार प्रसार कराया जाय। इसके अतिरिक्त राइजिंगमैन तथा वितरण प्रणाली पाइप की लैब द्वारा टेस्टिंग करा ली जाय कि बिछायी गयी पाइप मानकानुसार प्रयोग की गयी है अथवा नहीं तथा ट्रेंच की मानक अनुसार गहराई/चौड़ाई की जाँच भी करा ली जाय, जिससे भविष्य में पाइप लाइन छतिग्रस्त/लीकेज की समस्या कम हो।

विद्युत संयोजन:-अधिशाली अभियंता वि0/यौ0, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत वितरण खण्ड हमीरपुर द्वारा कार्यदायी फर्म पी0एन0सी0-एस0पी0एम0एल0, हमीरपुर द्वारा हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना सतही स्रोत व भूजल योजना तथा पतयौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना के तहत विद्युत बिलों का भुगतान न किये जाने के कारण इन्टेकटेल तथा सी0डब्लू0आर0 पर विद्युत संयोजन काट दिया गया है, जिसके कारण पेयजल की आपूर्ति बाधित हो रही है। कार्यदायी फर्मों के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि विद्युत बिलों में कुछ त्रुटिया होने के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ है, आश्वासन दिया गया कि 04 दिवस के अन्दर विद्युत बिलों का भुगतान कर दिया जायेगा।

Handwritten signature

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म द्वारा विद्युत बिलों का समय पर भुगतान न किये जाने के कारण असंतोष प्रकट किया गया तथा कार्यवाही फर्म को निर्देशित किया गया कि विद्युत बिलों का भुगतान प्रत्येक माह ससमय कर दिया जाय, जिससे इस प्रकार की असहज स्थिति उत्पन्न न हो। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता, वि०वि०ख०, हमीरपुर/राठ को निर्देश दिये गये कि बिजली चालू कर दी जाय, जिससे दीपावली पर्व में ग्रामीणों को असुविधा न हो। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड हनीरपुर/राठ को निर्देशित किया गया कि योजना के विभिन्न घटकों पर अवशेष विद्युत संयोजन की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण की जाय।

अधिशासी अभियंता, वि०/यों०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि पत्थौरा डांडा तथा हसौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत डब्लू०टी०पी० तथा सी०डब्लू०आर० पर बार-बार पावर कट होने तथा ०८ से १० घंटे ही बिजली मिल पाने के कारण ग्रामों में नियमित जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड हनीरपुर/राठ को समस्या का निराकरण कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य सम्पादन में जो सड़क/सी.सी. रोड/गलियां छतिग्रस्त हो गयी हों, उनके पुर्ननिर्माण का कार्य पाइप लाइन बिछाये जाने तथा हाइड्रोटेस्टिंग के पश्चात पूर्व की स्थिति के अनुसार गुणवत्तापूर्ण सम्पन्न हो गया है। जिन ग्रामों में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है, नियमानुसार 'हर घर जल' ग्राम घोषित कराया जाय। ग्रामों में पेयजल आपूर्ति का रोस्टर तैयार कर उसका प्रचार-प्रसार कराया जाय। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर, टी०पी०आई० तथा पी०एम०सी० व्यक्तिगत रुचि लेते हुए कार्य मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तथा स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप कराये तथा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

 4-11-24
(सुरेश कुमार)

अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
०६ हमीरपुर।

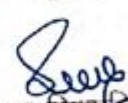
कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(An ISO 9001:2015 Certified Collectorate)

दिनांक ०५ नवम्बर, २०२४

पत्र संख्या-०१८ / न० गंगे-पे० यो०-स० बै० (२०२४-२५)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ। (ई-मेल)
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता निशन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियंता, एस०डब्लू०एस०एम०, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
5. मुख्य अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी। (ई-मेल द्वारा)
6. अधीक्षण अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
7. अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर/राठ।
8. अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर को इस निर्देश के साथ कि सनीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए ०५ दिवस के अन्दर अनुपालन आख्या उपलब्ध करायें।
9. अधिशासी अभियंता वि०/यों०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट। (ई-मेल द्वारा)
10. डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, सेन्सिटिव टेक लि० (टी०पी०आई०)/सुपरविजन इंजी०, पी०एम०सी० हमीरपुर।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एम०सी०/जनरल मैनेजर, जे०डब्लू०आई०एल०, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
12. पुर्नगठन योजना की समस्त कार्यवाही फर्म को अनुपालनार्थ। (ई-मेल द्वारा)

 4-11-24
अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

०६ हमीरपुर।